नुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, (गिरिडीह)

आदेश पत्रक

जागेश्वर मंडल प्रथम पक्ष

बनाम

विकाश कुमार मंडल व अन्य द्वितीय पक्ष

देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0 ..... से .....
तक जिला – गिरिडीह।

विविध वाद संख्या – 22 सन् 2025

धारा – 163 भा0 ना0 सु0 सं0

आदेश की क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18-2-25	आवेदक/आवेदिका – जागेश्वर मंडल पिता स्व0 जोधी मंडल साकिन – मंदरामों, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के द्वारा आवेदन देकर कहा गया है कि प्रथम पक्ष जागेश्वर मंडल और द्वितीय पक्ष 1. विकाश कुमार पिता स्व0 किशोर मंडल 2. रंजन मंडल पिता स्व0 राजू मंडल 3. अंकित मंडल पिता राजू मंडल 4. विजय मंडल पिता स्व0 वंशी मंडल 5. दामोदर मंडल पिता रघु मंडल 6. पुनिया देवी पति दामोदर मंडल 7. अभिषेक मंडल पिता दामोदर मंडल सभी साकिन – मंदरामों, के बीच भूमि को लेकर निम्नलिखित भुमि पर विवाद है :– भूमि का विवरण अंचल – सरिया, हल्का नं0 – 04, मौजा – मंदरामों, थाना/थाना नं0 – सरिया /44	67 18/2/25

भोलुम नं0 /पेज नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	जमीन किस्म	चौहदी
21/73	77	1211, 1231	2 एकड मध्ये 45.83 डी0	रैयती	उ0 – तुलसी पंडित दं0 – अर्जून पंडित , पू0 – रास्ता पं0 –परती रैयती

प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त भुमि पर भा0 ना0 सु0 सं0 कि धारा 163/अन्य के तहत निषेधाज्ञा लागु करने कि मांग कि गई है।

प्राप्त आवेदन पर अंचल अधिकारी सरिया तथा थाना प्रभारी सरिया से मंतव्य के साथ दिनांक 25-02-25 तक जॉच प्रतिवेदन कि मांग करें।

अभिलेख दिनांक 25-02-25 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

18-02-25
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

18-02-25
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिय

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या - ..22...../2025 धारा 163 भ0ना0सु0सं0

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20.2.25	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी, सरिया के पत्रांक – **327/25, दिनांक– 20.02.2025** के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ हीं उभय पक्षों से दिनांक 07.3.25 ..... को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 07.3.25 ..... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 20-2-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया (गिरिडीह) 20-2-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07/3/25	उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कु. सिन्हा उपस्थित। द्वितीय पक्ष सं. 04, 05, 06, एवं 07 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बादल कु० मंडल उपस्थित। प्रथम पक्ष ने एक फोटो दाखिल कर द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य किए जाने का आरोप लगाया। उनके द्वारा BNSS 223 के तहत कार्यवाई हेतु petition दाखिल किया गया। थाना प्रभारी सरिया से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अगली तिथि 28/3/25 [signature] 07/3/25	92/[illegible] 08/3/25
28/3/25	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष सदस्य सं० - 01 एवं 03 उपस्थित। अभिलेख दिनांक 11/4/25 को रखें। [signature] 28/3/25	
11-4-25	प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष ~~सं. 04, 05, 06, 07 तथा~~ सं. 04 उनके अधिवक्ता बादल कुमार मंडल उपस्थित। द्वितीय पक्ष सं (01) और (3) तथा उनके अधिवक्ता S.K. Panday उपस्थित। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता दीपक सिन्हा ने आवेदन देकर बताया कि प्रथम पक्ष श्री जागेश्वर मंडल	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	की मृत्यु 20/3/25 को हो गई है। उस वाद को उनकी पुत्रवधु सुधा देवी आगे संचालित करना चाहती है। सुधा देवी स्वयं आज न्यायालय में उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता श्री बादल के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अन्य अधिवक्ता श्री S.K. Pandey के द्वारा समय की मांग की गई है। अगली तिथि 19/4/25 [हस्ताक्षर] 11/4/25	
19/4/25	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष सदस्य सं०- 01 एवं 03 उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर से कारण-पृच्छा, दस्तावेज सूचि, एवं BNSS की धारा 164 में परिवर्तन का आवेदन। द्वितीय पक्ष की ओर से सदस्य सं०- 01 से 03 तक का कारण-पृच्छा दाखिल। थाना प्रभारी सरैया का DR.NO-704/25 दिनांक 19/4/25 का जांच प्रतिवेदन। **आदेश** लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर भा॰ ना॰ सु॰ से॰ की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त	

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंध अवधि में भी द्वितीय पक्ष द्वारा काम किए जाने की शिकायत प्रथम पक्ष के द्वारा की गई। मामला जटिल भू-विवाद का है तथा उसमें विवाद के कारण स्वरूप दखल कब्जा का तत्व अंतर्निहित है। द्वितीय पक्ष के द्वारा तथाकथित रूप से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना आगे भी लोक परिशांति भंग होने का कारण बन सकती है। अतः विवाद के बेहतर विवेचन तथा निर्णयन हेतु वाद को भा० ना० सु० सं० की धारा 164 के तहत परिणत की जाती है। उक्त आशय का नोटिस उभय पक्ष को भेजें तथा वाद सुनवाई हेतु 05/25 को पुनः बहस करें। भा० न्याय सं० की धारा 223 की पुष्टि हेतु अलग से अभिलेख खोल सुनवाई आरंभ की जाएगी।	
	~~टंकित~~ एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 1/04/25 अनु - 6051 जगोदर - खलिया (हस्ताक्षर) 1/04/25 अनु - 6051 जगोदर - खलिया	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.26 16:32:46 +05:30
Location: 192.168.1.4